Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ **www.popularfrontindia.org**

popularfrontmail@gmail.com **011- 29949902**

प्रेस रिलीज

4 दिसंबर 2018
नई दिल्ली

किसान आंदोलन को पॉपुलर फ्रंट का समर्थन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में किसानों के कर्ज माफी और फसलों की बेहतर कीमत सहित अन्य मांगों के साथ देशभर में हो रहे आंदोलनों के समर्थन की बात की गई। 2015 की एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत में हर साल आर्थिक बोझ के कारण 15000 से अधिक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। 1995 से लेकर 2010 तक के आंकड़ों के अनुसार, ढाई लाख से अधिक किसानों ने इस दौरान आत्महत्या की है। किसान भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसके बावजूद शासक सरकारें उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देतीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कॉरपोरेट घरानों के बजाय किसानों को प्राथमिकता देना शुरू करें। एक सरकार जो कारोबारियों के अरबों रुपए के कर्ज माफ कर सकती है, वह किसानों की समस्याएं क्यों हल नहीं कर सकती? एन.ई.सी. की बैठक में, संसद तक मार्च करने वाले 200 किसान संगठनों की मांगों के साथ एकजुटता का इजहार किया गया।

नागरिकता संशोधन बिल को छोड़ो

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद में पारित प्रस्ताव में यह कहा गया कि संसद में प्रस्तावित नागरिकता संशोधन बिल 2016 मुसलमानों के साथ खुला भेदभाव बरतने वाला बिल है, और इस तरह वह संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ है। बिल के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या इसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले गैर–कानूनी प्रवासियों को क़ैद या निर्वासित नहीं किया जाएगा। बल्कि वे नागरिकता एक्ट (1955) में दर्ज 11 वर्ष के बजाय केवल 6 वर्ष ही भारत में रहकर स्थायी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भले ही इस बिल में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में काफी हद तक स्वतंत्रता और उसकी प्रक्रिया में राहत दी गई है, लेकिन यह इसलिए नामंजूर और अन्यायपूर्ण है क्योंकि इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए धर्म को बड़ा कारक बताया गया है। इस कानून के समर्थकों का यह दावा है कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यकों को शरण देना है। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्यों केवल कुछ चयनित पड़ोसी देशों के इन धार्मिक समुदायों को ही यह विशेष छूट दी जा रही है, जबकि कई पड़ोसी देश और भी हैं जहां लोगों को सताया जा रहा है और इससे बुरे तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है?

यह बात भी समझनी चाहिए कि राजनीतिक शरण चाहने वाले लोगों को आमतौर से शरणार्थी समझा जाता है न कि प्रवासी, और हालात सुधरने पर उन्हें वापस अपने देश लौटना होता है। बहरहाल, यह प्रस्तावित बिल मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों के लोगों को स्थायी नागरिकता देने की बात करता है। जो दरअसल सूची में डाले गए देशों के गैरमुस्लिम नागरिकों को भारत में आकर बसने का निमंत्रण है। अतः यह सेकुलरिज़्म, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारे लोकतंत्र के कानून के इतिहास में पहली बार कोई बिल नागरिकता प्राप्त करने के लिए धर्म को मापदंड करार दे रहा है, इसलिए यह साफ तौर पर एक मुस्लिम–विरोधी बिल है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से हम अपील करते हैं कि वे इस बिल को किसी भी प्रकार पास ना होने दें।

बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करो

एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने लंबे समय से चली आ रही बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर बनाने की अपनी मांग को दोहराया, जहां 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने उसे ढा दिया था। विध्वंस की यह कार्रवाई देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ एक जंग जैसी थी, और इसे रोकने में असफल रहे अधिकारियों ने हमारे देश को ही असफल कर दिया था। विध्वंस के बाद लगे घाव से आज तक खून बह रहा है और बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ को लेकर अब तक धोखा ही दिया गया है। इस शर्मनाक दुर्घटना की 26वीं बरसी पर एनईसी की बैठक में लोगों को बाबरी विध्वंस और उसके पुनर्निर्माण के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया, क्योंकि याद रखना सबसे बेहतर रक्षा होती है।

मोहम्मद अली जिन्ना
महासचिव,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया